दिनांक 8.07.2016 को अपरान्ह् 4.00 बजे शिविर कार्यालय सभागार में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में "विद्युत विभाग" से सम्बन्धित विन्दुओं पर आहूत बैठक की कार्यवृत्ति ।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 8.07.2016 को अपरान्ह् 4.00 बजे शिविर कार्यालय पर विद्युत विभाग से सम्बन्धित कार्यों की विन्दुवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, श्री एस0पी मिश्रा अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, श्री ओ0पी0 मिश्रा अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम प्रतापगढ़ व अन्य उप खण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्तागण उपस्थित रहे।

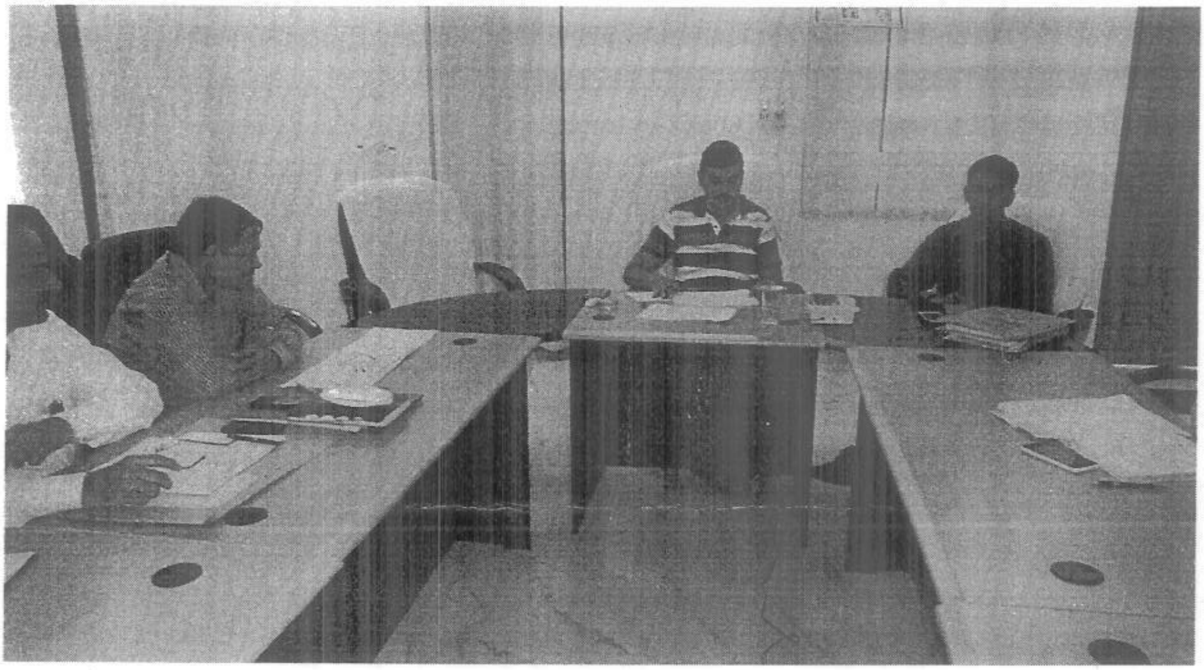

1. समीक्षा के दौरान जनपद में खराब होने वाले ट्रांसफार्मरों को नियत समयावधि (72 घण्टे) में बदले जाने के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। उल्लेखनीय है कि जनता दर्शन, तहसील दिवस एवं दूरभाष के माध्यम ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि उक्त ग्राम का ट्रांसफार्मर गत एक माह से या इससे अधिक समय से खराब है जिसकी सूचना विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी गयी थी किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम/द्वितीय/स्टोर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि भविष्य में जिन स्थानों पर खराब ट्रांसफार्मर की सूचना प्राप्त हों, उन्हें नियत समयावधि (72 घण्टे) के भीतर निश्चित रूप से बदलवाना/ठीक कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी।

2. समीक्षा के दौरान उप खण्ड अधिकारी नगर द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय विभागों द्वारा विद्युत बिल का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से करा दिया जाता है, और उसकी प्रति भी नहीं दिखायी जाती है जिसके कारण बिल किस विभाग का है की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से जनपद के समस्त सम्बन्धित विभागों को सूचित

करें कि विद्युत बिल नगद/चेक के माध्यम से जमा कराया जाये यदि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि जमा की जाती है तो उसकी प्रति भी प्राप्त कर सम्बन्धित विभाग के खाते में धनराशि जमा करें।

3. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम से पूँछतांछ की गयी कि वर्तमान समय में किस सरकारी विभाग की कितनी धनराशि जमा करने हेतु अवशेष है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विभागवार देय धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम को निर्देशित किया गया कि तत्काल वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित विभागों का प्रिन्ट आउट निकालकर अपने विभाग से मिलान कर अद्यावधिक ऑकड़े के अनुसार नियमानुसार वसूली कराना सुनिश्चित करें।

4. समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम द्वारा अस्पष्ट ऑकड़ा प्रस्तुत किया गया जिससे अवर अभियन्तावार समीक्षा नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जनपद में तैनात समस्त अवर अभियन्ताओं के तैनात के सापेक्ष नये विद्युत कनेक्शनों का लक्ष्य के अनुसार विवरण–पत्र करें। साथ ही समीक्षा के दौरान समस्त अवर अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुसार शत–प्रशित नये विद्युत कनेक्शन कराना सुनिश्चित करें।

5. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्तमान समय में कैम्प लगाकर विद्युत बिल नहीं जमा कराया जा रहा है मात्र उपकेन्द्रवार ही बिल जमा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त क्षेत्रों में कैम्प लगाकर विद्युत बिल जमा कराने हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6. उल्लेखनीय है कि जनता दर्शन, तहसील दिवस, दूरभाष व अन्य माध्यमों से इस आशय की शिकायतें प्रायः प्राप्त होती रहती हैं कि अधिकांश अवर अभियन्ताओं द्वारा अपने सी0यू0जी0 नंबर को स्विच ऑफ रहता है या कॉल जाने पर उसे रिसीव नहीं किया जाता है जिसके कारण विद्युत से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में समस्त उप खण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वे अपने सी0यू0जी0 नंबर को हमेशा चालू हालत में रखें और उसपर जो भी कॉल आये उसे रिसीव कर समस्या का निस्तारण कर अपने उच्चाधिकारियों को नियमानुसार सूचित भी करें। यदि ऐसी शिकायत पुनः संज्ञान में प्राप्त होती है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी।

7. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम द्वारा संज्ञान में लाया कि खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने या अन्य उपकरणों को दिये जाने के सम्बन्ध में विद्युत स्टोर विभाग से जानबूझकर विलम्ब किया जाता है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत स्टोर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जो सामग्री सम्बन्धित विभाग दी जानी है और वह उपलब्ध है तो उसे दिये जाने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न करें और यदि उक्त

सामग्री स्टोर में नहीं है जो तत्काल उसे मॅगवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

8. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि **Agreegate technical and commercial loss** और **Line loss** के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम से पूॅछतांछ करने पर अवगत कराया गया कि प्रतापगढ़ का औसत **Agreegate technical and commercial loss** और **Line loss** औसतन 34 एवं 18 प्रतिशत है, जबकि पूर्वान्चल वितरण वितरण निगम का मानक 35 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम/द्वितीय को निर्देशित किया गया कि अगले माह **Agreegate technical and commercial loss** और **Line loss** को कमशः 30 प्रतिशत से कम और 18 प्रतिशत से कम कराना सुनिश्चित करें।

9. उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में जनपद के कई डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के औचक निरीक्षण में पाया गया कि कतिपय मजरों का अभी विद्युतीकरण नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम/द्वितीय को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में समीक्षा कर तत्काल नियमानुसार सम्बन्धित मजरों का विद्युतीकरण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति संज्ञान में आने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में विद्युत बिल बकाये के प्रकरणों में अवर अभियन्ताओं द्वारा विद्युत कनेक्शन काट कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गयी है तथा आर0सी0 जारी कराने व उसके आगे की कार्यवाही नहीं की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम/द्वितीय को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण की स्वयं समीक्षा कर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्यथा की स्थिति संज्ञान में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

11. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि विद्युत चोरी रोकने हेतु पर्याप्त प्रयास विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम/द्वितीय को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण की स्वयं समीक्षा कर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्यथा की स्थिति संज्ञान में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

12. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में विद्युत विभाग के 10 बड़े बाकीदारों के सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके कारण वसूली जस की तस है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम/द्वितीय को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण की स्वयं समीक्षा कर तत्काल

————4

नियमानुसार शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करायें, अन्यथा की स्थिति संज्ञान में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

13. समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद के कतिपय नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं होती है और लोकल फाल्ट के नाम अनावश्यक रूप से बिजली कटौती की जाती है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि अपने–अपने क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति करायें तथा लोकल फाल्ट होने पर उसे तत्काल ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायें।

14. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम/द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जनपद में तैनात समस्त अवर अभियन्ताओं द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष किये जाने वाले का विवरण तैयार कर अवर अभियन्तावार विवरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे समुचित ढंग से समीक्षा की जा सके।

15. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम से **Through rate** के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम से पूँछतांछ करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम का **Through rate** रु0 2.20 है एवं द्वितीय खण्ड का रु0 1.59 है तथा नगरीय क्षेत्र का रु0 3.00 है, जबकि पूर्वान्चल वितरण निगम लिमिटेड का मानक ग्रामीण क्षेत्र का रु0 2.20 नगरीय क्षेत्र का रु0 4.00 है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम/द्वितीय को निर्देशित किया गया कि मानक के अनुसार **Through rate** की प्राप्ति सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

16. समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता विद्युत से ए0टी0सी0 व लाइन हानियॉ कम करने के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर उनके द्वारा विभिन्न कार्यवाहियों का निम्न लक्ष्य अवगत कराया गया :–

क0	कार्यवाही	लक्ष्य
1.	लाइन विच्छेदन	150
2.	प्राथमिकी	90
3.	नये संयोजन	50
4.	पी0डी0	20

इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति नियमानुसार सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों

का कड़ाई से अनुपालन किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता/उदासीनता न बरती जाये अन्यथा की दशा में सम्बन्धित के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डा० आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।

(13)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 1549/शिविर–2016

दिनांक : जुलाई 09, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, इलाहाबाद।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
6. अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम/द्वितीय), प्रतापगढ़।
7. अधिशाषी अभियन्ता विद्युत (स्टोर), प्रतापगढ़।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
9. अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।